



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937

No. 570]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/ PHALGUNA 14, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 659(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस वसूल करना) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1457(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसमें बाद में का.आ. संख्या 349(अ), तारीख 15 मार्च, 2005 द्वारा संशोधन किया गया था अर्थात्:-

उक्त संशोधन अधिसूचना का.आ. सं. 349(अ), तारीख 15 मार्च, 2005 में, टिप्पण 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“7. सड़क उपयोक्ता वास्तविक फीस का संदाय केवल प्रथम टोल प्लाजा पर ही करेंगे और पश्चात्पूर्वी प्लाजा पर ऐसे भुगतान का सबूत प्रस्तुत करेंगे” के स्थान पर

### निम्नलिखित पढ़ा जाए

“7. फीस निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु उद्ग्रहीत की जाएगी :

	टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
(i)	286/450 कि.मी. से 286/950 कि.मी. के बीच जयपुर की ओर में स्थित टोल प्लाजा पर	55.875 कि.मी. (273.500 कि.मी. से 329.375 कि.मी. तक)
(ii)	360/200 कि.मी. से 360/700 कि.मी. के बीच किशनगढ़ की ओर स्थित टोल प्लाजा पर	34.510 कि.मी. (329.375 कि.मी. से 363.885 कि.मी. तक)

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37011/65/2002-पीआईसी]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधि सूचना भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 1457(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में इसमें का.आ. 349(अ), तारीख 15 मार्च, 2005 द्वारा संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2016

**S.O. 659 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1457(E) dated the 20<sup>th</sup> December 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) and subsequent amendment vide S.O. No. 349(E) dated the 15<sup>th</sup> March, 2005 namely:—

In the said amendment notification S.O. No. 349(E) dated the 15<sup>th</sup> March, 2005, Note 7 shall be substituted as under:

**In place of**

“7. The road user shall pay the actual fee at the first plaza only and shall provide proof of such payment at the subsequent plaza”.

**Read as**

“7. Fee shall be levied at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

	Location of Toll Plaza(s)(chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
(i)	Toll Plaza at Jaipur end between km 286/450 to km 286/950	55.875 km (from km 273.500 to km 329.375)
(ii)	Toll Plaza at Kishangarh end between km 360/200 to km 360/700	34.510 km (from km 329.375 to km 363.885)

[F. No. RW/NH-37011/65/2002-PIC]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

**Note:** The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O. No. 1457(E) dated the 20th December, 2003 and subsequent amendment *vide* S.O. No. 349(E) dated 15th March, 2005.